

Q280

http://labour.mp.gov.in/Default.aspx

श्रम सेवा पोर्टल  
श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन

होम पेज | कौन कहीं | सामान्य प्रश्न | सहायता केंद्र

श्रमायुक्त कार्यालय | मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल | श्रम कल्याण मंडल | संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा | संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ

Welcome to E-Governance Portal of Madhya Pradesh Government, Labour Department

स्टार्ट-अप सेक्टर की इकाईयों को श्रम कानूनों के अंतर्गत आवश्यक सुविधाएँ दिए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश। **new**

श्रम विभागीय सेवाओं को मोबाइल एप- "एप- श्रम सेवा एप" के माध्यम से नागरिकों को आगामी गणतंत्र दिवस से उपलब्ध कराने विषयक। **new**

<b>ईज़ ऑफ़ डुईंग बिजनेस (सिंगल विंडो)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>प्रमुख श्रम कानूनों के अंतर्गत पंजीयन/अनुज्ञप्तियों</li><li>आवेदन शुल्क जमा करने की विधि</li><li>स्व-प्रमाणीकरण योजना (VCS)</li></ul>	<b>मज्जीठिया वेतन बोर्ड की अनुशंसाएं</b> <ul style="list-style-type: none"><li>क्रियान्वयन की स्थिति</li><li>मज्जीठिया वेतन बोर्ड – मान. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय</li></ul>	<b>ऑनलाइन सेवाएं</b> <ul style="list-style-type: none"><li>दुकान एवं अन्य वाणिज्यिक स्थापनाएँ</li><li>कारखाना अधिनियम अंतर्गत सेवाएँ</li><li>ठेका श्रम अधिनियम अंतर्गत प्रमुख नियोजक <b>show</b></li></ul>
---	--	--

[http://labour.mp.gov.in/LabourCommissioner/StaticPages/Ease\\_of\\_Doing.aspx](http://labour.mp.gov.in/LabourCommissioner/StaticPages/Ease_of_Doing.aspx)

r.mp.gov.in/LabourC x Google x Google x Search x Search x

labour.mp.gov.in/LabourCommissioner/StaticPages/Ease\_of\_Doing.aspx

**(द) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996**  
(i) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत स्थापनाओं का पंजीयन

**(इ) अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979**  
(i) अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति

**(फ) मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961**  
(i) मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961 स्थापना का पंजीयन

**II. आवेदन शुल्क जमा करने की विधि**

(i) साईबर ट्रेजरी के माध्यम से:- साईबर ट्रेजरी वेबसाईट पर जाये, 'Other Departments' बटन पर क्लिक करें एवं 'Departments' के अन्तर्गत 'Labour' का चयन करें। अन्य संबंधित जानकारी भरे! नेटबैंकिंग अथवा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से शुल्क जमा करें। ट्रेजरी वेबसाईट द्वारा जनित चालान को सेव कर उसका प्रिंट प्राप्त करें। अब, चालान की विस्तृत जानकारी ऑन-लाईन फार्म में दर्ज कर चालान स्केन कर अप लोड करे।  
(ii) बैंक चालान के माध्यम से:- किसी भी भारतीय स्टेट बैंक शाखा में शुल्क जमा करे तथा चालान की विस्तृत जानकारी ऑन-लाईन फार्म में दर्ज कर चालान स्केन कर अप लोड करे।

**III. स्व-प्रमाणीकरण योजना (VCS)**

(i) स्व-प्रमाणीकरण योजना (मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना)  
(ii) स्व-प्रमाणीकरण योजना में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र

**IV. विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण**

(i) विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षणों हेतु जांच सूची  
(ii) श्रम निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप  
(iii) श्रम आयुक्त द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षणों हेतु जारी किये गये नवीनतम दिशा निर्देश  
(iv) मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन के निरीक्षण संशोधन तथा संशोधन सहित नवीनीकरण के प्रकरणों के संबंध में स्थल निरीक्षण द्वारा भौतिक सत्यापन के संबंध में निर्देश।श  
(v) विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत किये जाने वाले निरीक्षणों के संबंध में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय द्वारा जारी किए गये नवीनतम दिशा-निर्देश  
(vi) कारखाना अधिनियम 1948 तथा मध्यप्रदेश कारखाना नियम 1962 के अंतर्गत तृतीय पक्ष द्वारा सत्यापन एवं निरीक्षण के प्रावधान।

[http://labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View\\_Form.aspx?id=81](http://labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Form.aspx?id=81)

labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View\_Form.aspx?id=81

Madhya Pradesh Labour Portal  
**Madhya Pradesh Government, Labour Department**

**Form Details: Inspection Guidelines**

Form No :	Inspection	Form Title :	Inspection Guidelines
Form Type :	Inspection Guidelines	Form For :	Public
Form Details :	Inspection Guidelines	Download Link	Download attachment View attachment

किया जावेगा कि श्रम निरीक्षक प्रतिमाह निरीक्षण में से कितने निरीक्षण दुकान एवं स्थापना में, फैक्ट्री में, वाणिज्यिक स्थापना में, कृषि, भवन निर्माण इत्यादि नियोजन में करेंगे। ऐसा निर्धारण कर उक्त आदेश की प्रति श्रमायुक्त कार्यालय को भेजेंगे।

3. श्रम निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण प्रमुख रूप से उन प्राक्धानों में ही किया जावे, जो श्रमिक हित से जुड़े हुए हों। अधिनियमवार निरीक्षण हेतु मुख्य प्राक्धान (चेकलिस्ट) जिनमें निरीक्षण किया जाना है, निम्नानुसार है:-

(1) **न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948**

(i) अधिनियम की धारा 12 एवं नियम 1 के अन्तर्गत श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का प्रदाय सुनिश्चित कराना

(ii) अधिनियम की धारा 18 एवं मध्यप्रदेश नियम 29 (1), (2), (5) एवं 31 (ए) के अन्तर्गत श्रमिक से संबंधित अभिलेख, मस्टर रोल, वेतन पंजी, नियोजन पत्रक एवं श्रमिकों को वेतन पर्ची का प्रदाय।

[http://labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View\\_Form.aspx?id=88%20&Mode=Forms](http://labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Form.aspx?id=88%20&Mode=Forms)

Form Details: Format of Inspection Note prepared by Labour Inspectors			
Form No :	EoDS/InspectionNote	Form Title :	Format of Inspection Note prepared by Labour Inspe
Form Type :	Format of Inspection Note	Form For :	Public
Form Details :	Format of Inspection Note prepared by Labour Inspectors	Download Link	Download attachment View attachment

निरीक्षक का नाम - ..... निरीक्षण दिनांक .....

अधिनियम का नाम :- **न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948** समय :..... स्थान :.....

स्थापना/संस्थान का नाम एवं पता :- .....

पंजीयन/अनुज्ञप्ति क्रमांक :-..... कार्य का स्वरूप :- .....

नियोजक/ठेकेदार का नाम एवं पता:- .....

प्रमुख नियोजक का नाम एवं पता:-.....

नियोजित श्रमिकों/कर्मचारियों की संख्या पुरुष :..... महिला :..... योग :.....

उक्त संस्थान/कारखाने/ठेका कार्य का निरीक्षण श्री .....

पद ..... की उपस्थिति में किया गया एवं निम्न टीप अंकित की गई :-

- धारा 18, 19, 14, 17, 24 के अन्तर्गत निम्नानुसार अभिलेखों का निरीक्षण किया।
  - वेतन पंजी नियम 29 (1) कार्यस्थल पर संधारित पायी गयी। - हों/नहीं
  - उपस्थित पंजी नियम 29 (1) कार्यस्थल पर संधारित पायी गयी। - हों/नहीं
  - अधिसमय पंजी नियम 27 (2) कार्यस्थल पर संधारित पायी गयी। - हों/नहीं
  - दण्ड संस्थान में दण्ड पंजी फार्म क्रमांक 1 में संधारित पायी गयी। - हों/नहीं  
नियम 22(4)
  - कटोत्रा पंजी फार्म क्रमांक 2 में नियम 22(1) में संधारित पायी गयी। - हों/नहीं
  - निरीक्षण पंजी संधारित पायी गयी। नियम 29(ए) - हों/नहीं
  - श्रमिकों को वेतन पर्ची नियम 29 (2) प्रदान की जाती है। - हों/नहीं
  - श्रमिकों का हाजिरी कार्ड नियम 31 (1) प्रदान किया जाता है। - हों/नहीं
  - श्रमिकों से अधिसमय कार्य लेने पर नियमानुसार दुगुनी दर से भुगतान किया जाता है। नियम 27 - हों/नहीं


[http://labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View\\_Circular.aspx?id=391](http://labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Circular.aspx?id=391)

Circular Details

labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View\_Circular.aspx?id=391

25 May 2016, 13:45:10 IST

Portal Home | Login |



Madhya Pradesh Labour Portal

## Madhya Pradesh Government, Labour Department

Menu

Home |

### Circular Details: Guidelines regarding Inspection of establishments under different Labour Acts during 2016-17

Circular No :	1/17/IX/Enf/2016/7927-95	Circular Date :	10/03/2016
Circular Subject :	Guidelines regarding Inspection of establishments under different Labour Acts during 2016-17	Attached File :	Download Attachment View Attachment
Issued By :	Office of Labour Commissioner	For Whom :	Public

ILVCircular.aspx

1 / 3

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश  
518 न्यू मोती बंगला, एम.जी.रोड, इन्दौर-452007  
Phone: 0731-2432822, Fax: 0731-2536600

क्रमांक 1/17/नवम/प्रवर्तन/2016/ 7927-95 इन्दौर, दिनांक 10-3-16,  
प्रति,

समस्त उप श्रम आयुक्त इन्दौर/भोपाल(म.प्र.)  
समस्त संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (म.प्र.)  
समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक (म.प्र.)  
समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (म.प्र.)

**विषय- वर्ष 2016-17 के लिए श्रम अधिनियमों में निरीक्षणों के संबंध में दिशा-निर्देश।**

श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षणों के संबंध में समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुक्रम में निरीक्षणों में पारदर्शिता बनाये रखने तथा सुस्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करने और ईज ऑफ ट्रेडिंग नियंत्रण को प्रबलित करने का दिनांक 2016-17 के लिए निरीक्षणों के